[2000] 5 एस. सी. आर. 306

राजस्थान राज्य

बनाम

अशफाक अहमद

(दाण्डिक अपील संख्या- 591/2003)

मार्च 04, 2009

**[डॉ. अरिजीत पसायत, हरजीत सिंह बेदी एवं**

**अशोक कुमार गांगुली, जे.जे]**

भारतीय दण्ड संहिता 1860

धारा- 302- विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि- उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति- निर्णीत-उच्च न्यायालय द्वारा सही निर्णीत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा जिस एकमात्र साक्ष्य पर विश्वास किया गया जोकि कथित रूप से अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था वह मृत्युकालिक कथन नही था- ऐसा कोई साक्ष्य नही था जो यह दर्शित कर सके कि पीड़ित कथन करने की स्थिति में था-उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई असंगतता नही है जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके-भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 136.

**प्रस्तुत अपील राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि एंव दण्डादेश के आदेश को अपास्त कर दिया था।**

**अपील खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया- सुना: विचारण न्यायालय द्वारा जिस एकमात्र साक्ष्य जिसके आधार पर दोषसिद्धि की गयी वह अन्वेषण अधिकारी (पी०डब्लू०-23) द्वारा दर्ज बयान प्रदर्श P-1 था। उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया कि प्रदर्श P-1 मृत्युकालिक कथन नही था और अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने के लिए पर्याप्त नही था विशेष रूप से तब जबकि मृतक के पिता जो कि पी०डब्लू०-5 के रूप में परीक्षित किये गये थे, द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया कि मृतक बयान दिये जाने की स्थिति में नही था। पी०डब्लू०-23 ने यह स्वीकार किया है कि ऐसा कोई अभिलेख नहीं था, जो यह दर्शित कर सके कि डॉक्टर का यह मत था कि मृतक बयान देने की स्थिति में था। पी०डब्लू०-23 ने केवल यह कथन किया है कि उसने उस डॉक्टर (पी०डब्लू० 1) की मौखिक सहमति ली थी जो मरीज का इलाज कर रहा था, परन्तु पी०डब्लू०-1 ने मृतक की बयान देने की स्थिति के विषय में या उसकी मौखिक सहमति के संबंध में कुछ भी इंगित नहीं किया था। इसके विपरीत मेडिकल बोर्ड में शामिल एक डॉक्टर के द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि जब उसके द्वारा मृतक की जाँच की गई तो मरीज की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसकी चोटों की चिकित्सीय जाँच करना भी असंभव था। यही एकमात्र साक्ष्य था जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की गई। अतः उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय को पलटना और दोषमुक्ति का निर्देश देना उचित था। उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई असंगतता नहीं है जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके।**

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- दाण्डिक अपील

संख्या-591/2003

दाण्डिक अपील संख्या-125/1997 में उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ जयपुर द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांकित 18.07.2002

डॉ० मनीष सिंघवी, ए.ए.जी. एवं मिलिन्द कुमार (अपीलार्थी)

सुशील कुमार, प्रतिभा जैन एवं पुनीत जैन (प्रत्यर्थी)

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ० अरिजीत पसायत** द्वारा पारित किया गया-सुना।

वर्तमान अपील राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश को प्रश्नांकित किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्यर्थी अशफाक अहमद को भारतीय दण्ड संहिता 1860 (संक्षेप में आई०पी०सी०) की धारा-302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के कथित मुकदमें का सामना करना पड़ा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3, कोटा ने अभियुक्त को धारा-302 भा०दं०सं० के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया।

उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा दोषमुक्ति हेतु निर्देशित किया।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि अन्वेषण अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद (पी०डब्लू०-23) द्वारा दर्ज किया गया कथित पर्चा बयान (प्रदर्श P-1) मृत्युकालिक बयान नहीं था और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था विशेषकर जब मृतक के पिता जिनको पी०डब्लू०-5 के रूप में परीक्षित कराया गया, ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मृतक कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं था। पी०डब्लू०-23 ने यह स्वीकार किया है कि ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं था जो यह दर्शित कर सके की डॉक्टर का यह मत था कि मृतक बयान देने की स्थिति में था। पी०डब्लू०-23 ने केवल यह कथन किया है कि उसने उस डॉक्टर (पी०डब्लू०-1) की मौखिक सहमति ली थी जो मरीज का इलाज कर रहा था। दुर्भाग्य से उक्त डॉक्टर श्री लक्ष्मीनाथ मीना जो बतौर पी०डब्लू०-1 परीक्षित हुआ था ने मृतक की बयान देने की स्थिति के विषय में या उसकी मौखिक सहमति के विषय में कुछ भी इंगित नहीं किया। इसके विपरीत डॉ० जी.एस.बिशनर, जो मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे, ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि जब उसके द्वारा मृतक की जाँच की गई तो मरीज की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसकी चोटों की चिकित्सीय जाँच करना भी असंभव था। पी०डब्लू०-1 ने कथन किया कि मृतक की हालत गंभीर थी इसलिए उसे कोटा अस्पताल में रेफर किया गया था और वह पी०डब्लू०-23 के पहुंचने के बाद अस्पताल पहुंचा और मृतक का बयान दर्ज करना शुरू किया।

यही एकमात्र साक्ष्य था जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की गई। अतः उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय को पलटना और दोषमुक्ति का निर्देश देना उचित था। उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई असंगतता नहीं है जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके।

अपील विफल है एवं खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

Digitally signed by Chandra Mohan Mishra
Date: 2023.10.13 15:40:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court